...लय उपखण्ड ........................................................................................................मुण्डावर, जिला

...न्तर्गत.............................. किस्म ............................................ मुकदमा नं०.................................................. दिनांक...............

...न पत्रावली..............................................................................................................................................................

| ...ख | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर एवं तारीख अहकाम जो हुक्म की तामीर में जारी... |
| --- | --- | --- |
| 29/11/22 | आज पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थीगण उपस्थित आये। पेश करने दर० मरम्मत सवाल बाबत वादी संख्या 01, वकील वादी ने समय चाहा। जबकि पूर्व में भी कई बार अवसर दिये जाने एवं अदम अनुपालना में प्रकरण खारिज कर दिये जाने की हिदायत दिये जाने के उपरान्त वकील वादी ने दिनांक 17/09/2021 में वादी संख्या 01 की फौतगी की सूचना दिये जाने पर भी विगत एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी दिनांक 17/09/2021 में जारी पेश करने दर० मरम्मत सवाल बाबत आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं की है। जिसके कारण वकील प्रतिवादी का भारी उज्र रहा। वकील वादी को वादी संख्या 01 की फौतगी बाबत सूचना/जानकारी होने के उपरान्त भी न्यायालय द्वारा बार-बार अवसर दिये जाने उपरान्त भी वकील वादी ने आदिनांक तक वादी सं० 01 के बाबत दर० मरम्मत सवाल पेश नहीं किया है। वादी की फौत हो जाने उपरान्त भी प्रकरण को न्यायालय में चलाया जा रहा है एवं न्यायालय द्वारा पेश करने दर० मरम्मत सवाल हेतु बार-बार अवसर दिये जाने उपरांत भी दर० मरम्मत सवाल पेश नहीं। जिससे वकील वादी की न्यायालय के आदेशों की अवहेलना एवं प्रकरण की कार्यवाही में लेट-लतीफी को दर्शाता है। जिसके कारण न्यायालय का कीमती समय खराब हुआ है। अतः वादी के वाद को अदम अदायगी अनुपालना आदेश 9 नियम 5 के तहत खारिज किया जाता है। प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है। | |

| | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जमा जिला लेखा भण्डार हो। सुनाया गया।<br><br>सहायक कलक्टर<br>मुण्डावर (अलवर) राज० |